(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

रादस्य

अपील प्रकरण कमांक 739-तीन/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 01-01-2014 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर - प्रकरण कमांक 01 अ-21/2013-14 अपील

1- गोदन पुत्र रमले अहिरवार
2- गुबरा पुत्र रमले अहिरवार
3- सश्री मालती पुत्री छोटेलाल अहिरवार
वली मॉ श्रीमती कौशिल्यारानी
पत्नि स्व0 छोटेलाल अहिरवार
निवासीगण ग्राम ऐचनवारा
तहसील खुरई जिला सागर ----अपीलांट्स

विरूद्ध

1- रामगुलाम पुत्र भूरेलाल ब्राहमण
2- श्रीमती सावित्री वाई पत्नि रामरतन ब्राहमण
निवासीगण ग्राम ऐचनवारा तहसील खुरई
जिला सागर मध्य प्रदेश ---रिस्पाण्डेन्टस

(अपीलांट्स के अभिभाषक श्री के0एस0यादव)
(रिस्पा0 के अभिभाषक श्री के0एस0निगम)

आ दे श

(आज दिनांक 6-7 -2016 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 01 अ-21/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 01 जनवरी 2014 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार खुरई ने

कलेक्टर सागर को प्रकरण कमांक 441 बी-121/2012-13 में प्रतिवेदन दिनांक 31-5-2013 प्रस्तुत कर बताया कि अपीलांट्स ने स्वयं् के नाम की भूमि सर्वे कमांक 271 रकबा 1.20 हैक्टर के विक्रय करने की अनुमति अपर कलेक्टर सागर से प्रकरण कमांक 60अ-21/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 28-6-2006 से प्राप्त की थी, अब अपीलांट्स अपनी जमीन को पुनः वापिस क्रय करना चाहते हैं। तहसीलदार के प्रतिवेदन को अनुविभागीय अधिकारी खुरई ने दिनांक 31-5-2013 को कलेक्टर सागर को प्रेषित किया, जिस पर से कलेक्टर सागर ने प्रकरण कमांक 61 अ-21/2012-13 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनवाई उपरांत विक्रय अनुमति की शर्तो का पालन नहीं हुआ है जिसके कारण आदेश दिनांक 18-9-2013 से निर्णीत किया कि:-

" अपर कलेक्टर सागर के प्रकरण कमांक 13/अ-21/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 20-5-05 के द्वारा आवेदकगण को शासकीय पट्टे की सामिलाती भूमि ख.नं. 271/1 रकबा 1.20 है. के विक्रय की अनुमति प्रदान की गई थी, साथ ही उसे 3.00 एकड़ भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान की गई थी, आदेश दिनांक 20.5.05 के अनुसार भूमि क्रय किये जाने का सौदा पूर्ण न होने के कारण आवेदकगण द्वारा विक्रेता वृजभान सिंह की भूमि ख.नं. 349, 360/1 कुल रकबा 1.39 है. में 0.80 है. क्रय करने की अनुमति प्राप्त की गई, दोनों आदेशों में इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया कि आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की है जिसमें नाबालिग का हित भी सामिल है इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं रखा गया कि आवेदकगण द्वारा भूमि का विक्रय किस व्यक्ति को किया जावेगा। अतः प्रकरण कमांक 13 अ-21/04-05 आदेश दिनांक 20-5-05 एंव प्रकरण कमांक 60 अ-21/05-06 में पारित आदेश दिनांक 1-7-06 को आवेदकगण एंव श्रीमती सावित्री बाई पत्नि रामरतन निवासी ग्राम ऐचनवारा एंव वृजभान सिंह पिता पंचमसिंह दांगी ठाकुर एंव अनावेदकगण गोदन पिता रमले अहिरवार सभी निवासी ग्राम ऐंचनवारा तहसील खुरई के मध्य हुये संव्यवहार रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 1-7-06 को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों से तत्काल प्रभाव से शून्य घोषित करता हूँ। "

कलेक्टर के उक्तादेश के विरूद्ध रिस्पाण्डेन्टस से अपर आयुक्त,

सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त,सागर संभाग, सागर ने प्रकरण कमांक 01 अ-21/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 01 जनवरी 2014 से अपील स्वीकार कर कलेक्टर सागर का आदेश दिनांक 18-9-13 निरस्त कर दिया । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुना तथा प्रस्तुत की गई लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर एंव लेखी बहस पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अपर कलेक्टर सागर ने प्रकरण कमांक 60अ-21/2005-06' में पारित आदेश दिनांक 28-6-2006 से अपीलांट्स के विकय अनुमति आवेदन के आधार पर ग्राम ऐंचनवारा की कुल भूमि 1.39 हैक्टर में मात्र 0.80 हैक्टर भूमि के विकय की अनुमति प्रदान की गई है और विकय अनुमति उपरांत भूमि का विकय तथा कब्जे का आदान-प्रदान भी हो चुका है। विचार योग्य है कि अपर कलेक्टर सागर का विकय अनुमति आदेश दिनांक 28-6-2006 अपील/निगरानी के अभाव तथा अपील/निगरानी का समय व्यतीत हो जाने के वाद अंतिमता लिये है तब क्या ऐसे आदेश को 07 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के वाद कलेक्टर सागर निरस्त करने हेतु सक्षम हैं ?

1. कलेक्टर सागर के प्रकरण कमांक 61 अ-21/2012-13 के अवलोकन एंव परीक्षण पर पाया गया कि कलेक्टर सागर ने अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 28-6-2006

के री-ओपिन करने अथवा पुर्नविलोकन करने हेतु सक्षम अनुमति प्राप्त नहीं की है जिसके कारण कलेक्टर सागर का आदेश 18-9-2013 विधि के प्रभाव से शून्यवत् है।

2. कलेक्टर सागर के प्रकरण कमांक 61 अ-21/2012-13 के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उनका प्रकरण शिकायती आवेदन पर पंजीबद्ध किया गया है एंव अपर कलेक्टर के विक्रय अनुमति वावत् दिये गये आदेश दिनांक 28-6-2006 के सात वर्ष के अंतराल वाद है, जो युक्तियुक्त समय के वाहर होकर समयसीमा से वाधित है।

कलेक्टर सागर के आदेश दिनांक 18-9-13 एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के आदेश दिनांक 1-1-2014 की तुलना करने पर स्थिति यह है कि विद्वान अपर आयुक्त ने प्रकरण में आये तथ्यो के प्रत्येक बिन्दु पर गौर कर यथोचित आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 01 अ-21/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 01 जनवरी 2014 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर